FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0265 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/09/2026 12:33 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** सोमवार **Date From (दिनांक से):** 03/08/2026 **Date To (दिनांक तक):** 03/08/2026
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:15 बजे **Time To (समय तक):** 18:30 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/09/2026 **Time (समय):** 10:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/09/2026 12:33:23 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 400 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** SHRINATHJI UDAIPUR TALL WAY, PRIVATE LIMITED NEGADIYA, POLICE THANA DELWARA, JILA RAJSAMAND

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** GOPAL SWAROOP MEWARA

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 05/05/1978 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	NAND NAGAR-3, BEAWAR, BEAWAR CITY, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	NAND NAGAR-3, BEAWAR, BEAWAR CITY, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DINESH KILOLIYA		पिता:HEERALAL BHOI	1. 56,PRIYADARSANI NAGAR,BEDALA ROAD,SUKHER,UDAIPUR,RAJA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		28,110.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 28,110.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 03.08.2026 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को विश्वसनीय सूत्र से सूचना प्राप्त हुई कि ‘‘श्री दिनेश किलोलिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी राजसमन्द आज कार्यालय समय के उपरान्त अपनी निजी कार हुण्डई क्रेटा बरंग सफेद वाहन संख्या RJ27CK4001 से राजसमन्द से रवाना होकर उदयपुर अपने निवास जायेगा तथा आज के दिन का अवैध रूप से वसूली हुई राशि को अपने साथ इसी निजी वाहन में लेकर जायेगा।’’ उक्त सूचना विश्वसनीय होने से उच्चाधिकारीयो को हालात अर्ज कर आकस्मिक चैकिंग की मौखिक स्वीकृति प्राप्त कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दो स्वतंत्र गवाह ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर तलब कर उन्हे प्राप्त सूचना एवं आकस्मिक चैकिंग के मनतव्य से अवगत करवाते हुए स्वतंत्र गवाह श्री शैलेन्द्र मेनारिया वरिष्ठ सहायक, श्री कुलदीप मीना अध्यापक, श्री ओम प्रकाश सउनि, श्री सुनिल कुमार हैड कानि., श्री संदीप कुमार कानि. मय ट्रेप बॅाक्स, मय लेपटॅाप मय प्रिन्टर मय आवश्यक संसाधनो के जिसमें सरकारी मोबाईल मय खाली मेमोरी कार्ड मय कानि. चालक श्री शेर सिह मय सरकारी वाहन के चित्तौडगढ ब्यूरो कार्यालय से करीब 02.45 पी.एम. पर रवाना हो समय करीब 05.00 पी.एम. पर नेगड़िया श्रीनाथजी-उदयपुर टॉल वे प्राईवेट लिमिटेड पहूंचे जहा पुलिस ईमदाद हेतु स्थानीय पुलिस थाना देलवाड़ा जिला राजसमन्द के थानाधिकारी को सूचना दी गई, जिस पर थानाधिकारी श्री सुखदेव सिंह चारण पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता टॉल वे पर उपस्थित आये, जिन्हे भी उक्त कार्यवाही एवं आकस्मिक चैकिंग के सन्दर्भ में अवगत करवाते हुए आवश्यक ईमदाद हेतु बताया गया तथा मुताबिक सूचना के उक्त संदिग्ध एवं संदिग्ध वाहन के बारे में मौजूद जाप्ता एवं मुलाजमान को अवगत करवा के टॉल नाके के सभी पाउन्ट पर स्थानीय पुलिस की मदद से नाकाबन्दी शुरू की तथा उक्त संदिग्ध एवं वाहन के आने का टॉल पर इन्तजार किया। समय करीब 06.30 पी.एम. पर सूचना के मुताबिक हुण्डई क्रेटा बरंग सफेद वाहन संख्या RJ27CK4001 राजसमन्द की तरफ से आती हुए दिखाई दी, जिसे टॉल के प्रवेश द्वार पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाप्ता मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं पुलिस जाप्ता द्वारा उक्त वाहन को रोका जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरीयान का परिचय देते हुए आने का मनतव्य से अवगत करवाया गया तथा वाहन चालक एवं ड्राईवर के पास फ्रन्ट की आगे वाली सीट पर बैठे हुए व्यक्ति से उनका परिचय पूछा तो वाहन चालक ने अपना नाम मनमोहन सिंह पुत्र स्व. श्री पंचरत्न सिंह जाति चारण उम्र 40 वर्ष निवासी बनखोडा तहसील आसपुर पुलिस थाना दोवड़ा जिला डूंगरपुर हाल प्राईवेट वाहन चालक होना बताया तथा दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम दिनेश किलोलिया पुत्र श्री हिरा लाल भोई उम्र 38 वर्ष निवासी मकान नम्बर 36,37,38 प्रियदर्शनी नगर बेदला कुण्ड के पीछे पुलिस थाना सुखेर जिला उदयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी राजसमन्द होना बताया। उक्त दोनो व्यक्तियो की एवं वाहन की तलाशी लिवाई जाने की मौखिक सहमति चाही गई तो दोनो व्यक्तियो द्वारा अपनी व वाहन की तलाशी लिवाई जाने की सहमति जाहिर की, जिस पर सर्वप्रथम स्वयं दिनेश किलोलिया ने गाड़ी के फ्रन्ट सीट के सामने के डेस्कबॅाार्ड को खोलकर उसमें से कुछ नोट निकालकर स्वयं ही कहा की ‘‘मेरे पास केवल यही रकम है,‘‘ उक्त रूपयो को स्वतंत्र गवाहान को सम्भलाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाप्ता द्वारा श्री दिनेश किलोलिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी की जामा तलाशी दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा लिवाई गई तो पहनी हुई पेन्ट की सामने की बाई एंव दाहिनी जेब से कुछ नोट मिले जिन्हे सुरक्षित श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक को सम्भलाया गया तथा मौके पर उपस्थित श्री मनमोहन सिंह प्राइवेट वाहन चालक को उक्त कार कब से चला रहे हो और क्या काम करते हो, के संबंध में पूछा तो श्री मनमोहन सिंह ने बताया कि ‘‘मैं करीब 01 वर्ष से श्री दिनेश किलोलिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी की निजी कार को चला रहा हॅू तथा मैं इनको ऑफिस मैं छोडने के बाद वाहनो के रजिस्ट्रेशन, ड्राईविंग लाईसेन्स एवं परिवहन विभाग से संबंधित अन्य कार्य भी करता हॅू जिससे मुझे एक्स्ट्रा इन्कम होती है।‘‘ बाद पूछताछ श्री मनमोहन सिंह चारण प्राईवेट वाहन चालक की जामा तलाशी दोनो स्वतंत्र गवाहान से लिवाई गई तो श्री मनमोहन सिंह चारण के पहनी हुई पेन्ट की सामने की जेब से एक पर्स मिला जिसमें केवल आधार कार्ड एवं लाईसेन्स ईत्यादी मिले, जिन्हे बाद अवलोकन लौटाये गये । तत्पश्चात हुण्डई क्रेटा बरंग सफेद वाहन संख्या RJ27CK4001 की तलाशी लिवाई गई तो उक्त वाहन की मूल आरसी वाहन संख्या RJ27CK4001 का रजिस्ट्रेशन दिनांक 02.09.2021, स्वयं श्री दिनेश किलोलिया का मूल आधार कार्ड नम्बर 3222 0737 4724 एवं उक्त वाहन हुण्डई के सर्विस इन्वोईस समरी एवं फार्म नम्बर 16 श्री दिनेश किलोलिया के पेनकार्ड

नम्बर JDHDO2589G मिला, इसके अलावा वाहन की पिछली सीट पर एक बैग मिला जिसमे कई वाहनो के आरसी, लाईसेन्स एवं अन्य परिवहन एवं वाहन संबंधी दस्तावेज भरे हुए थे जिस बारे में पूछने पर श्री दिनेश किलोलिया ने बताया कि ''उक्त बैग मेरे साथी और चालक श्री मनमोहन का है'' जिसके बारे में श्री मनमोहन सिंह ने बताया कि ''मैं राजसमन्द डिटीओ कार्यालय में प्राईवेट एजेन्ट के रूप में भी कार्य करता हॅू इसलिये ये सभी डॉक्यूमेन्ट डिटीओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन, फिटनेश इत्यादी कार्यो के लिये विभिन्न व्यक्तियो के है और यह बैग मेरा ही है।'' उक्त बैग में एक रजिस्टर जिस पर हॉफ डे बुक लिखा होकर दिनांक 25.03.2026 से दिनांक 03.08.2026 तक के बारे में प्रतिदिन किन-किन वाहनो से संबंधित कार्य हुआ कि डिटेल है, मामले हाजा में संदिग्ध होने से कब्जे ब्यूरो लिया गया, शेष डॉक्यूमेन्ट और बैग पुनः श्री मनमोहन सिंह को लौटाया गया। तलाशी के दौरान श्री दिनेश किलोलिया की कार के डेस्कबॉर्ड से मिले रूपये एवं स्वंय श्री दिनेश किलोलिया की जामा तलाशी में मिले रूपयें स्वतंत्र गवाहान से ही गिनवाये गये तो उक्त राशि भारतीय प्रचलन मुद्रा की कुल 28,110 रूपयें मिले। उक्त कुल राशि 28,110 रूपयें के संबंध में श्री दिनेश किलोलिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी को पूछा गया तो श्री दिनेश किलोलिया ने बताया कि ''मैं 26,500 रूपयें मेरी कार बीमा करवाने के लिये मेरे जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय राजसमन्द के पास में स्थित ई-मित्र के विभिन्न संचालको से उधार लिये है।'' उक्त के संबंध में संचालको के नाम पूछने पर केवल एक नाम श्री बहादुर सिंह ई-मित्र संचालक का नाम बताया, उक्त संचालक से कितने रूपयें इन्सयोरेन्स के क्रम में आज उधार लिये, तो बताया कि दो-तीन हजार रूपयें लिये थे, पुनः स्पष्ट राशि बताने हेतु कहा गया कि दो हजार रूपये लिये अथवा तीन हजार रूपये, तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, उक्त राशि सत्यापन के क्रम में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर से श्री दिनेश किलोलिया के बताये अनुसार उसके परिचित, जिससे उधार रूपयें लाया था, ई-मित्र संचालक श्री बहादुर सिंह के मोबाईल नम्बर पर वार्ता कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री बहादुर सिंह ई-मित्र संचालक से श्री दिनेश किलोलिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कितनी राशि उधार लेने के संबंध में पूछा गया तो श्री बहादुर सिंह ई-मित्र संचालक ने पहले तो कुछ जवाब नहीं दिया परन्तु थोड़ी देर बाद वापिस पूछने पर बताया कि मुझे देखकर बताना पडेगा कि कितने रूपये दिये थे, इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आज ही किसी को राशि दी है तो याद होगा, इसमें क्या देखकर बताना, इस पर श्री बहादुर सिंह ने स्पष्ट जवाब नहीं देकर कहा कि तीन-साढे तीन हजार रूपयें श्री दिनेश किलोलिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी को दिये है, पुनः स्पष्ट जवाब देने की कहने पर बताया कि मात्र साढे तीन हजार रूपयें दिये थे, उधार रूपये क्यो लिये थे, इसका कारण पूछने पर श्री बहादुर सिंह ने बताया कि श्री दिनेश किलोलिया ने अपनी गाड़ी मे डीजल भरवाने के नाम से मांगे थे, जो मैने दिये थे। उक्त वार्ता के बाद फोन काट दिया गया। उक्त वार्ता से श्री दिनेश किलोलिया के बताये हुए तथ्यो की पुष्टि नहीं हुई तथा विरोधाभाषी बाते सामने आई, तथा शेष राशि के संबंध में श्री दिनेश किलोलिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी से पूछा गया तो कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया और कहा कि ''मेरी कार का बीमा समाप्त हो रहा था इसलिये यह राशि मेरी जेब में रखी हुई है।'' उक्त जवाब श्री दिनेश किलोलिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण राशि कहां से और किससे प्राप्त की, इस संबंध में पूर्ण रूप सें सन्तोषप्रद हिसाब नहीं बताया जाने से उक्त राशि संदिग्ध होने से उक्त राशि 28,110 रूपयें को वजह सबूत जप्त कर पृथक से शिल्डचिट की जायेगी। उक्त कार्यवाही के संबंध में हालात उच्चाधिकारीयो को निवेदन किये गये तथा श्री दिनेश किलोलिया के उदयपुर स्थित निवास की खाना तलाशी लिवाई जाने हेतु श्रीमति सोनू शेखावत पुलिस निरीक्षक एसीबी इन्टे. उदयपुर को निर्देशित किया गया तथा आवश्यक जानकारी दी गई। बाद तलाशी एवं पूछताछ टॉल वे पर वाहनो की भीड़ एकत्रित होने एवं परिवहन व्यवस्था बाधिक न हो को मध्यनजर रखते हुए उक्त कार्यवाही की फर्द हेतु टॉल वे से रवाना हो स्थानीय पुलिस थाना देलवाड़ा रवाना होते हुए मौके पर उपस्थित थानाधिकारी श्री सुखदेव सिंह चारण एवं मय जाप्ता मय वाहन को अपनी ड्यूटी हेतु रूखसत किया गया तथा पुलिस जाप्ते में से एक श्री धनराज चालक कानि. 861 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय संदिग्ध श्री दिनेश किलोलिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय प्राईवेट चालक श्री मनमोहन सिंह चारण मय वाहन संख्या RJ27CK4001 हमरा ले स्थानीय पुलिस थाना देलवाड़ा समय करीब 07.10 पी.एम. पर पहूंच थानाधिकारी के कार्यालय कक्ष में लेपटॉप मय प्रिन्टर कनेक्ट कर फर्द आकस्मिक चैकिंग मुर्तिब करना प्रारम्भ की गई तथा श्री दिनेश किलोलिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी की निजी कार हुण्डई क्रेटा बरंग सफेद वाहन संख्या RJ27CK4001 जिसके वर्तमान किलोमीटर 92327 निकले हुए है पुलिस थाना परिसर में सुरक्षित रखवाई गई जो बाद फारीक कार्यवाही श्री दिनेश किलोलिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी को सुपुर्द करने हेतु निर्देशित किया गया तथा मोबाईल आई फोन 16 मय मोबाईल नम्बर को बाद अवलोकन लौटाया गया तथा श्री दिनेश किलोलिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी के वाहन की तलाशी एवं स्वयं की जामा तलाशी में मिले गाड़ी की मूल आरसी वाहन संख्या RJ27CK4001 का रजिस्ट्रेशन दिनांक 02.09.2021, स्वयं श्री दिनेश किलोलिया का मूल आधार कार्ड नम्बर 3222 0737 4724 एवं उक्त वाहन हुण्डई के सर्विस इन्वोईस समरी एवं फार्म नम्बर 16 श्री दिनेश किलोलिया के पेनकार्ड नम्बर JDHDO2589G दुरूस्त हालत में श्री दिनेश किलोलिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी को लौटाये गये। उक्त मूल दस्तावेज से संबंधित की प्रतिया रखी गई। संदिग्ध राशि 28,110 रूपयें को वजह सबूत जप्त कर पृथक से शिल्डचिट की गई। उपरोक्त आकस्मिक चैकिंग के दौरान नगद मिली संदिग्ध राशि 28,110

रूपयें के अलावा संदिग्ध रजिस्टर (वाहनो की डिटेल संबंधी), जिसे कब्जे ब्यूरो लिया गया है, अन्य कोई वस्तु एवं अन्य कोई सामान ब्यूरो दस्तयाब नहीं किया गया। मौके पर सरकारी मोबाईल मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ से विडियोग्राफी श्री संदीप कुमार कानि. द्वारा की गई। उपरोक्त फर्द आकस्मिक चैकिंग पुलिस थाना देलवाड़ा में पूर्ण प्रकाश की व्यवस्था होने से सोहार्दपूर्ण वातावरण में पूर्ण की गई और फर्द आकस्मिक चैकिंग समय करीब 10.50 पी.एम. पर सम्पन्न की गई। बाद कार्यवाही के श्री संदिग्ध श्री दिनेश किलोलिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री मनमोहन सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) को सकुशल रूखसदगी दी गई तथा फर्द आकस्मिक चैकिंग, फर्द जप्ती मूल मेमोरी कार्ड एवं डब पेनड्राईव मुर्तिब कर संबंधित की हस्ताक्षर करवाये गये।आकस्मिक चैकिंग जांच सत्यापन के दौरान ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के पत्र क्रमांक 2099 दिनांक 04.08.2026 द्वारा कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना चाही गई, जिस पर कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी राजसमन्द के पत्र क्रमांक 4097 दिनांक 04.08.2026 द्वारा संदिग्ध श्री दिनेश किलोलिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी राजसमन्द का स्टेट बैक ऑफ इण्डिया में सैलरी बचत खाता संख्या 51110370909, संदिग्ध श्री दिनेश किलोलिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी का सेवा विवरण प्राप्त किया गया तो निवास पता मकान नम्बर 56 प्रियदर्शनी नगर बेदला रोड़ पुलिस थाना सुखेर जिला उदयपुर अंकित होना पाया गया तथा संदिग्ध श्री दिनेश किलोलिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कार्य सम्पादन के संबंध में सूचना/कार्य विभाजन आदेश की प्रति प्राप्त कर अवलोकन किया तो पाया गया कि कार्यालय जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी राजसमन्द के पत्र क्रमांक परि/राज/स्था./2026/2598-2601 दिनांक 04.05.2026 के कार्यालय आदेश में कार्यालय के नियमित कार्य को सुचारू संचालन हेतु पदस्थापित अधिकारी/ कार्मिको को पूर्व आदेश को अतिष्ठित करते हुए दिनांक 04.05.2026 से नियमानुसार कार्य का आवंटन किया गया, जिसमें क्रम संख्या 03 पर संदिग्ध श्री दिनेश किलोलिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी को आवंटित कार्य नम्बर 01. परिवहन वाहनो के पंजीयन संबंधित समस्त कार्य, 2. दुपहिया के अतिरिक्त अन्य गैर परिवहन वाहनो के पंजीयन संबंधित समस्त कार्य, 3. लाईसेन्स शाखा संबंधित समस्त कार्य, 4. फिटनेस शाखा संबंधित कार्य, 5. यात्रि एवं भार वाहनो के कर संबंधित कार्य, 6. एफ.आर.सी. संबंधित समस्त कार्य, 7. प्रदूषण जांच केन्द्र संबंधित कार्य ईत्यादी कार्यो का प्रभारी जिला परिवहन निरीक्षक होगा। उक्त कार्य विभाजन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कार्यालय में कुल 10 अधिकारी/कार्मिको का कार्य-विभाजन आदेश जारी किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा कार्य एवं सबसे महत्वपूर्ण राजस्व वसूली संबंधी कार्य संदिग्ध श्री दिनेश किलोलिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी के जिम्मे किये गये है, जिससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी राजसमन्द में किये जाने वाले कार्य संदिग्ध श्री दिनेश किलोलिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सम्पादित करते हुए अवैध रूप से राशि प्राप्त करना प्रतीत होता है। आकस्मिक चैकिंग जांच सत्यापन के दौरान ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के पत्र क्रमांक 3015 दिनांक 05.08.2026 द्वारा शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया चित्तौडगढ को संदिग्ध श्री दिनेश किलोलिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी के सैलरी बचत खाता संख्या 51110370909 का बैंक स्टेटमेन्ट दिनांक 04.08.2025 से दिनांक 03.08.2026 की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त कर अवलोकन किया गया तो उक्त बचत खाते में अन्तिम निकासी दिनांक 10.07.2026 को 5,446 रूपयें का भुगतान बजाज लाईफ इन्सयोरेन्स को किया जाना तथा दिनांक 10.07.2026 के बाद घटना दिनांक 03.08.2026 तक उक्त बैंक बचत खाते से लेन-देन होना नहीं पाया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि आकस्मिक चैकिंग दिनांक 03.08.2026 को संदिग्ध श्री दिनेश किलोलिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी की जामा तलाशी एवं स्वयं की निजी कार हुण्डई क्रेटा बरंग सफेद वाहन संख्या RJ27CK4001 की तलाशी में मिली संदिग्ध राशि 28,110 रूपयें कार्यालय कार्य करने के दौरान अवैध रूप से प्राप्त करना प्रमाणित है।उपरोक्त आकस्मिक चैकिंग कार्यवाही एवं सत्यापन से स्पष्ट होता है कि संदिग्ध श्री दिनेश किलोलिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी राजसमन्द की ब्यूरो द्वारा आकस्मिक चैकिंग की जाने पर अपने निजी वाहन में एवं स्वयं की जामा तलाशी में संदिग्ध राशि 28,110 रूपयें मिलना, जिसके संबंध में कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया जाना, जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि संदिग्ध श्री दिनेश किलोलिया पुत्र श्री हिरा लाल भोई उम्र 38 वर्ष निवासी मकान नम्बर 56 प्रियदर्शनी नगर बेदला रोड़ पुलिस थाना सुखेर जिला उदयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी राजसमन्द एक लोकसेवक होते हुए परिवहन विभाग से संबंधित व्यक्तियो से वैध कार्य के बदले अवैध रूप से राशि प्राप्त कर एक दिवसीय चैक पीरियड अवधी में आय से अधिक राशि 28,110 रूपयें मिलने का अपराधिक कृत्य जुर्म धारा 13 (1)(B) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपी श्री दिनेश किलोलिया पुत्र श्री हिरा लाल भोई उम्र 38 वर्ष निवासी मकान नम्बर 56 प्रियदर्शनी नगर बेदला रोड़ पुलिस थाना सुखेर जिला उदयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी राजसमन्द के विरूद्ध धारा 13 (1)(B) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रकरण पंजीबद्ध हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (गोपाल स्वरूप मेवाड़ा) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ.....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से

जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1)(B) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दिनेश किलोलिया पुत्र श्री हिरा लाल भोई उम्र 38 वर्ष निवासी मकान नम्बर 56 प्रियदर्शनी नगर बेदला रोड़ पुलिस थाना सुखेर जिला उदयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी राजसमन्द के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजीव जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 233 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1525-28 दिनांक 17.09.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राजसमंद 2- अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), परिवहन विभाग, राजस्थान जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJEEV JOSHI **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 17/09/2026 12:54:01

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)